Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIII (53), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मनरेगा योजना का हितग्राही परिवारों पर प्रभाव (राजगढ जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. पी. सी. बंसल* शैलेन्द्र मालवीय**

* पूर्व-विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) भारत
** शोधार्थी (अर्थशास्त्र) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) भारत

प्रस्तावना – भारत सरकार ने ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम चलाये जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जिसमें ग्रामीण समुदाय को एक सौ दिन का आजीविका प्रदान किया जा सके। इसके बाद नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (मनरेगा) कर दिया गया। इस अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह माना जाता है कि ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार सृजन का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का पुर्नजन्म माना जाता है।

शब्द कुंजी – मनरेगा और हितग्राही परिवार पर प्रभाव।

शोध अध्ययन का उद्देश्य :

1. राजगढ जिले में मनरेगा योजना का ग्रामीण विकास पर क्या प्रभाव पडा है, इसका अध्ययन करना।
2. हितग्राही परिवारों की शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि –शोध प्रविधि में अनुसंधान मानवीय जीवन का अन्वेषण तथा प्रमाणीकरण करने की व्यवस्थित व वैज्ञानिक पद्धति है, अनुसंधान का लक्ष्य ज्ञान का विस्तार करना व शोधकार्यों का सत्यापन करना होता है. चाहे वह ज्ञान सिद्धांत का निर्माण हो या कला के व्यवहार में सहायक हो।

रोनाल्ड स्लेसिंगर तथा मेरी स्टी वैन्सन तथा पी. वी. यंग के अनुसार – 'अनुसंधान का लक्ष्य वैज्ञानिक कार्य प्रणाली द्वारा प्रश्नों के उत्तर को खोजना है।'

अध्ययन क्षेत्र – मध्यप्रदेश के राजगढ जिले के खिलचीपुर एवं जीरापुर तहसील को अध्ययन क्षेत्र के लिये चुना गया है।

अध्ययन का समग्र – मध्य प्रदेश के राजगढ जिले की दो तहसील खिलचीपुर और जीरापुर में मनरेगा योजना से लाभान्वित हितग्रहियों का अध्ययन शोध का समग्र है। मनरेगा योजना से उनके जीवन-यापन शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति का चयन किया गया है।

अध्ययन की इकाई – जब किसी समस्या पर शोध अध्ययन किया जाता है तो समस्याओं की जानकारी के लिए उत्तरदाताओं का चयन किया जाता है। इकाईयों का चयन शोध समस्या पर आधारित होता है। इकाई किसी समस्या का पूर्ण उत्तरदाता नहीं होते हैं, बल्कि कई इकाईयों को जोडकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। शोधार्थी के द्वारा मध्यप्रदेश के राजगढ जिले की खिलचीपुर एवं जीरापुर तहसील में मनरेगा योजना से लाभान्वित उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। मनरेगा योजना से लाभान्वित उत्तरदाता अध्ययन की इकाई है।

निदर्शन –मध्यप्रदेश के जिला राजगढ के खिलचीपुर और जीरापुर तहसील में मनरेगा योजना से लाभान्वित कुल 300 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि से किया जायेगा। जिला राजगढ के दोनों तहसीलों खिलचीपुर और जीरापुर से 150-150 मनरेगा योजना के हितग्रहियों का के दोनों तहसीलों खिलचीपुर और जीरापुर से 150-150 मनरेगा योजना के हितग्रहियों का चयन किया गया है।

साहित्य पुनरावलोकन :

1. **चतुर्वेदी (2008)** – ने अपने अध्ययन में पाया कि मनरेगा और उसके क्रियान्वयन की व्यवस्था में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। सामाजिक लेख परिक्षण को भी नजरअंदाज किया जा रहा है जिसका परिणाम यह हो रहा है कि मध्यप्रदेश का एक हिस्सा आज भी भूखा और रोजगार के लिए प्रतिक्षा में है।
2. **पार्थिक कुमार (2013) –** ने अपने अध्ययन में पाया कि देख में गरीब परिवारों में बेरोजगारी और भुखमरी होने के कारण छोटी उम्र में ही उनको काम में लगाकर परिवार वाले आय प्राप्त करने की सोचते है जिससे ऐसे परिवारों के बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था से दूर होते जाते हैं। जबकि सरकार द्वारा ऐसे गरीब परिवारों के बच्चों के हित के लिए मध्याहन भोजन, आवास योजना छात्रवृत्ति योजना, नि:शुल्क शिक्षा योजना प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना की व्यवस्था ग्राम पंचायत के स्तर पर किया जाता है।
3. **सिंह संतोष कुमार (2014)** – ने अपने शोध अध्ययन में पाया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) अधिनियम 2005 में केन्द्र सरकार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए पर पडे कुछ लोगों के आजीविका का साधन बन गया और इससे लोगों की आय में भी वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम के द्वारा पंचायत स्तर पर ग्राम सभा को मुख्य जिम्मेदारी रहती है कि किन लोगों को रोजगार की आवश्यकता होती है। उन्हे पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

मनरेगा योजना – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम जिसे मनरेगा योजना के नाम से जानते है। इसकी शुरूआत भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू की गयी थी। जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय व थी। जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों गांरटीकृत अकुशल शारीरिक श्रम की कानूनी गांरटी देता

है, जिससे रोजगार सुरक्षा बढाना एवं ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करना है। इसमें अकुशल श्रमिक को तालाब, सडक आदि बनाने में रोजगार दिया जाता है। इस योजना का कार्यांवयन मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना एवं ग्रामीण–शहरी पलायन को रोकना है।

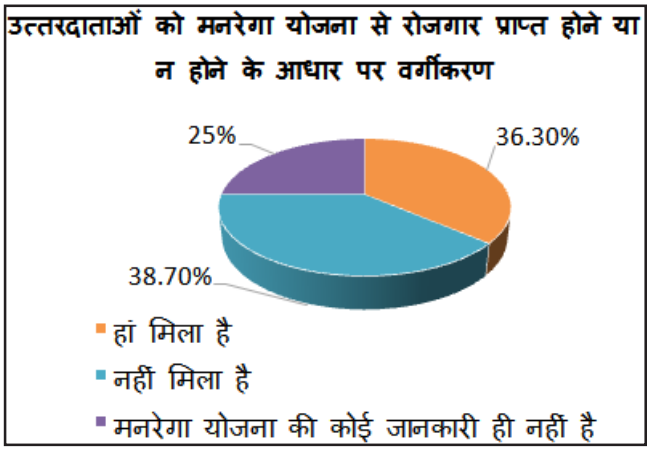
यदि आवेदक को 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिला तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है तथा आवेदक को उसके निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में ही काम दिया जाता है। इस योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है एवं रोजगार में एक तिहाई भागीदारी महिलाओं के लिये आरक्षित रहती है।

राजगढ जिले के खिलचीपुर और जीरापुर तहसीलों में मनरेगा योजना का हितग्राही परिवारों पर क्या प्रभाव पडा है को जानने केलिये किये गये सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुये–

तालिका क्रं. – 1: उत्तरदाताओं को मनरेगा योजना से रोजगार प्राप्त हुआ है या नहीं के आधार पर वर्गीकरण

उत्तरदाताओं को मनरेगा योजना से रोजगार प्राप्त होना	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हां मिला है	109	36.3
नहीं मिला है	116	38.7
मनरेगा योजना की कोई जानकारी ही नहीं है	75	25.0
योग	300	100.0

आरेख क्रं. – 1

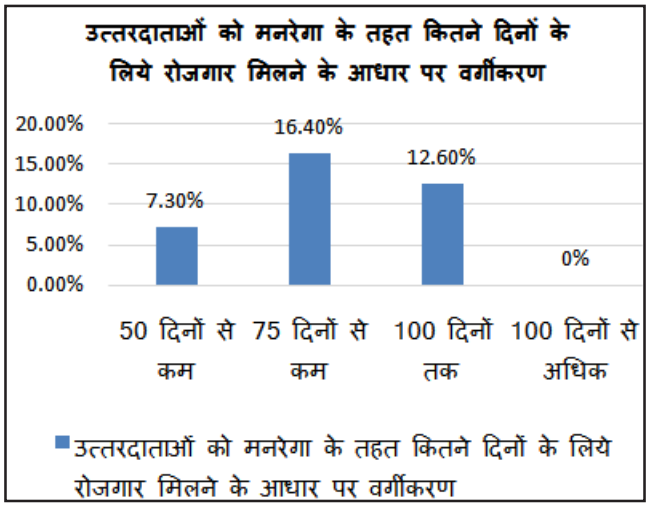


उपरोक्त तालिका में उत्तरदाता को मनरेगा योजना से रोजगार के आधार पर वर्गीकरण करने पर 300 उत्तरदाताओं में से 109 उत्तरदाताओं को मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त हुये है जिसका 36.3 प्रतिशत है जबकि 116 उत्तरदाताओं को मनरेगा योजना के अंतर्गत कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है जिसका 38.7 प्रतिशत है, जो कि सर्वाधिक है एवं 75 उत्तरदाताओं को मनरेगा योजना की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है जिसका 25 प्रतिशत जो कि सबसे कम है। इससे स्पष्ट है कि इन दोनों तहसीलों के अधिकांश उत्तरदाताओं को मनरेगा योजना से बहुत कम रोजगार प्राप्त हुये है।

तालिका क्रं. – 2: उत्तरदाताओं को मनरेगा के तहत कितने दिनों के लिये रोजगार मिलने के आधार पर वर्गीकरण

उत्तरदाता को मनरेगा के तहत कितने दिनों के लिये रोजगार मिला	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
50 दिनों से कम	22	7.3
75 दिनों से कम	49	16.4
100 दिनों तक	38	12.6
100 दिनों से अधिक	00	0.0
योग	109	36.3

आरेख क्रं. – 2

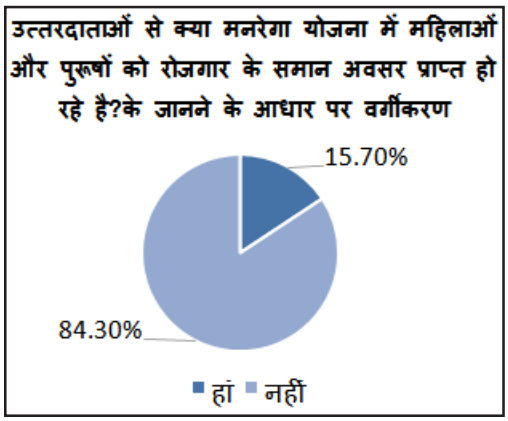


तालिका विश्लेषण – उपरोक्त तालिका में उत्तरदाता को मनरेगा के तहत कितने दिनों के लिये रोजगार मिलने के आधार पर वर्गीकरण करने पर 109 उत्तरदाताओं में से 22 उत्तरदाताओं को 50 दिनों से कम मनरेगा योजना के तहत रोजगार मिला जिसका 7.3 प्रतिशत है जो कि बहुत कम है जबकि 49 उत्तरदाताओं को 75 दिनों से कम मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार मिला जिसका 16.4 प्रतिशत है। उसी प्रकार 38 उत्तरदाताओं को 100 दिनों तक मनरेगा योजना के तहत रोजगार मिला, जिसका 12.6 प्रतिशत है एवं किसी भी उत्तरदाता को 100 दिनों से अधिक कोई रोजगार नहीं मिला। इससे स्पष्ट है इन दोनों तहसीलों के उत्तरदाताओं को 75 दिनों से कम मनरेगा के तहत रोजगार मिला।

तालिका क्रं. – 3: उत्तरदाताओं से क्या मनरेगा योजना में महिलाओं और पुरूषों को रोजगार के समान अवसर प्राप्त हो रहे है?के जानने के आधार पर वर्गीकरण

उत्तरदाताओं के अनुसार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हां	47	15.7
नहीं	253	84.3
योग	300	100.0

आरेख क्रं. – 3

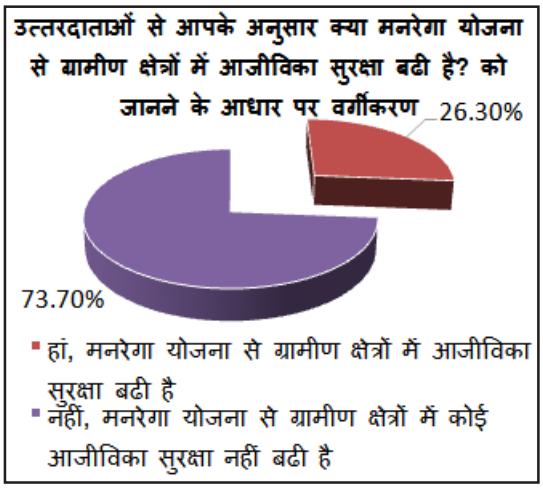


तालिका विश्लेषण – उपरोक्त तालिका में उत्तरदाताओं से क्या मनरेगा योजना में महिलाओं और पुरूषों को रोजगार के समान अवसर प्राप्त हो रहे है?के जानने के आधार पर वर्गीकरण करने पर ज्ञात हुआ कि 300 उत्तरदाताओं में से 47 उत्तरदाताओं का कहना है कि हां, मनरेगा योजना में महिलाओं और पुरूषों को रोजगार के समान अवसर प्राप्त हो रहे है, जिसका 15.7 प्रतिशत है, जो कि बहुत कम है जबकि 253 उत्तरदाताओं का कहना है कि मनरेगा योजना में महिलाओं और पुरूषों को समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे है। इससे स्पष्ट है कि इन दोनों तहसीलों में मनरेगा योजना में महिला और पुरूषों को समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे है।

तालिका क्रं. – 4: उत्तरदाताओं से आपके अनुसार क्या मनरेगा योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढी है? को जानने के आधार पर वर्गीकरण

उत्तरदाता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हां, मनरेगा योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढी है	79	26.3
नहीं, मनरेगा योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में कोई आजीविका सुरक्षा नहीं बढी है	221	73.7
योग	300	100.0

आरेख क्रं. – 4



तालिका विश्लेषण – उपरोक्त तालिका में उत्तरदाता से आपके अनुसार क्या मनरेगा योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा बढी है? को जानने के आधार पर वर्गीकरण करने पर 300 उत्तरदाताओं में से 79 उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि मनरेगा योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा बढी है, जिसका 26.3 प्रतिशत है जो कि बहुत कम है जबकि 221 उत्तरदाताओं ने इस बात को अस्वीकार किया है कि मनरेगा योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा बढी है, जिसका 73.7 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार मनरेगा योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में कोई आजीविका सुरक्षा नहीं बढी है। इसका कारण मनरेगा का राजगढ जिले के खिलचीपुर एवं जीरापुर तहसीलों में मनरेगा का सही मायने में क्रियांवयन नहीं हो पाया है, जिससे यह योजना यहां सफल नहीं हो पायी है। इसके कारण यहां के उत्तरदाताओं मे इस योजना के प्रति आक्रोश दिखाई देता है। इन दोनों तहसीलों के उत्तरदाता इस योजना की असफलता के कारण असंतुष्ट है।

निष्कर्ष – राजगढ जिले के खिलचीपुर और जीरापुर तहसीलों में मनरेगा योजना का कार्यांवयन किस प्रकार हो रहा है एवं वहां के कितने लोग इस योजना से लाभांवित हुये है? यह योजना राजगढ जिले में कितनी सफल रही है? आदि को जानने के लिये किये गये सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि मनरेगा योजना इन दोनों जिलों में ज्यादा सफल नहीं हो पायी है। इसका कारण वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त कुरीतियां जैसे कि जातिगत भेदभाव, सरपंच द्वारा भ्रष्टाचार, सरपंच द्वारा रिश्वतखोरी, सामान्य उच्च वर्ग के लोगों का रोजगार देना, क्योंकि वे लोग सरपंच को रिश्वत देते है और अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछडे वर्ग के लोग रिश्वत देने में असमर्थ होते है। गांव के सरपंच द्वारा उनके जॉबकार्ड लेकर उन्हें रोजगार न देकर अपने पास उनके जॉबकार्ड रखना आदि उत्तरदाताओं द्वारा जानकारी प्राप्त हुई। उसी प्रकार आवास योजना के तहत उत्तरदाताओं को आवास आवंटित करने के एवज में 25000 रू. की मांग सरपंच द्वारा की जाती है, जिसके कारण उत्तरदाताओं को आवास भी आवंटित नहीं हो पा रहे है। सरपंच द्वारा अपने चिर–परिचित लोगों को आवास एवं रोजगार दिया जाता है, ऐसी शिकायत भी उत्तरदाताओं द्वारा की गयी है। अत: इससे स्पष्ट है कि राजगढ जिले में खिलचीपुर और जीरापुर तहसीलों में मनरेगा योजना का पूरी तरह से प्रतिसाद नहीं मिल पाया है।

सुझाव :

1. जीरापुर के बहुत कम उत्तरदाता को कुछ वर्ष पहले पंचायत द्वारा 4 हफ्तों का कार्य प्रदान किया गया था, जिसकी राशि एक माह में इनके खाते में आ गयी थी।
2. ग्रामीण लोग कृषि–मजदूरी कर अपने परिवार का पालन–पोषण करते है। उन्हें इसके अलावा मनरेगा योजना के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
3. पंचायत द्वारा प्रत्येक वर्ष रोजगार प्रदान किया जाये तो उत्तरदाता परिवार अपना एवं अपने परिवार का पालन–पोषण करने के साथ ही साथ अपने बच्चों के भविष्य के लिये व उनकी शिक्षा पर बिना किसी समस्या के खर्च वहन कर सकता है।
4. अधिकांश उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि पंचायत ज्यादातर बंद ही रहती है, पंचायत का सरपंच भ्रष्ट है किसी प्रकार का कार्य पंचायत में नहीं करता है।
5. मनरेगा तहत रोजगार न मिलने के कारण कुछ उत्तरदाता स्नातक तक

शिक्षित होने के बावजूद मजदूरी करने को मजबूर है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अमित कुंडू (2014),**'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) का ग्रामीण गरीबों पर प्रभाव एक सरल सैद्धांतिक चर्चा'**, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनामिक्स, वेस्ट बंगाल, पृष्ठ क्र. 49-70
2. आहूजा, राम (2006), **'एग्रीकल्चर एण्ड डेवलपमेन्ट इन इण्डिया पोस्ट जिवरेलाइजेशन इनिशियेटिव्स',** न्यू सेंचुरी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ क्रं 2
3. आलम, शब्बीर एमडी (2014),**'सुशासन और रोजगार सृजन मनरेगा में माध्यम से',** अर्थशास्त्र, वाणिज्य और प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, संस्करण-09 पृष्ठ क्र. 1-4
4. बाजपई एस. आर. (1998), **'सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण'**, किताबघर, कानपुर।
5. भारती एवं डॉ. पाण्डेय (1994), **'भारतीय अर्थव्यवस्था (स्वतंत्रता के पश्चात)',** मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।

****